रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 1987/आश्विन 14, 1909
No. 503] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 1987/ASAVINA 14, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 888(अ) :—पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29वां) की धारा 6 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

सरकार, एतद्द्वारा पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969, में अग्रेतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को पूंजी निर्गम (छूट) दूसरा संशोधन आदेश, 1987 कहा जा सकेगा।

(2) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 में खण्ड 4 के उपखण्ड (4) में "एक राज्य सरकार" (ए स्टेट गवर्नमेंट) शब्दों के पश्चात् "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934" की धारा 2 (ङ.) के अधीन यथा परिभाषित "अनुसूचित बैंक (शेड्यूल्ड बैंक)" शब्द जोड़ दिए जाएंगे।

[सं. एस. II(47)—सी.सी. आई. (II)/87]

पी.जी. मंकड़, पूंजी निर्गम नियंत्रक और संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

New Delhi, the 5th October, 1987

NOTIFICATION

S.O. 888(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, namely :—

1. (i) This Order may be called the Capital Issues (Exemption) (Second Amendment) Order, 1987.

(ii) In the Capital Issues (Exemption) Order, 1969 in sub-clause (iv) of Clause 4, after the words "a State Government" the words "Scheduled Banks" as defined under Section 2(e) of the "Reserve Bank of India Act, 1934." shall be inserted.

[No. S. 11(47)-CCI (II)/87]

P. G. MANKAD, Controller of Capital Issues & Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987